

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-27072026-274847
SG-DL-E-27072026-274847

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 197]	दिल्ली, सोमवार, जुलाई 20, 2026/आषाढ 29, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 124
No. 197]	DELHI, MONDAY, JULY 20, 2026/ASHADHA 29, 1948	[N. C. T. D. No. 124

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-1) विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2026

फा. सं. 3 (02)/वित्त.(व्यय-1)/2026-27/डीएस-1/729—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 112 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की अनुशंसाओं पर, एतद् द्वारा दिनांक 30 जून, 2026 को उस तिथि के रूप में अधिसूचित करते हैं, जिस तिथि तक इस अधिनियम के अंतर्गत अपील अधिकरण के समक्ष, उन सभी मामलों के संबंध में, जहां वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील की जाने की वांछा की गई है, दिनांक 1 अप्रैल, 2026 से पूर्व अपील करने वाले व्यक्ति को संप्रेषित कर दिया गया है, अपील दायर की जा सकेगी, तथा दिनांक 1 अप्रैल, 2026 को या उसके पश्चात संप्रेषित आदेश के संबंध में सभी अपीलें उस तिथि से, जिसको ऐसा आदेश अपील करने वाले व्यक्ति को संप्रेषित किया जाता है, तीन माह के भीतर अपील अधिकरण के समक्ष दायर की जा सकेंगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश तथा उनके नाम पर
मंगेज सिंह, उप सचिव (वित्त)

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2026

F. No. 3 (02)/Fin.(Exp-I)/2026-27/DS-I/729.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 112 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies the 30th day of June, 2026, as the date upto which appeal may be filed before the Appellate Tribunal under this Act in respect of all cases where the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal before the 1st day of April, 2026 and all appeals in respect of order communicated on or after 1st April, 2026 may be filed before the Appellate Tribunal within three months from the date on which such order is communicated to the person preferring the appeal.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
MANGEJ SINGH, Dy. Secy. (Fin.)